न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ, चित्रकूट।
द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-76/2026
CNR. No- UPCH120002592026
उ०प्र० राज्य बनाम तीरथ केवट

अपराध संख्या-1149/2010
धारा-25 आयुध अधिनियम
थाना-मऊ, जिला-चित्रकूट।

दिनांक-11.03.2026

1. अभियुक्त तीरथ केवट की ओर से अपराध संख्या 1149/2010, धारा- 25 आयुध अधिनियम, थाना-मऊ, जिला चित्रकूट में द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त अभियुक्त उपरोक्त मामले में दिनांक 08.03.2026 से जेल में निरुद्ध है।

2. अभियुक्त की ओर से द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी को गांव के कुछ प्रभावशाली व्यक्ति पुलिस से साठ-गांठ कर झूठा उपरोक्त मुकदमे में फंसा दिया गया है। जिसमें प्रार्थी की पूर्व में एक बार जमानत हो चुकी है तथा प्रार्थी अन्य किसी भी अपराध में न तो संलिप्त है एवं न ही कोई अपराधिक इतिहास है। अभियक्त/प्रार्थी शारीरिक एवं मानसिक रुप से अस्वस्थ हो जाने के कारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आ सका जिससे प्रार्थी के विरुद्ध एन०बी०डबल्यू० जारी किए जाने का आदेश न्यायालय द्वारा पारित किया गया जिसके अनुक्रम में इलाका पुलिस द्वारा प्रार्थी को दिनांक 07.03.2026 को गिरफ्तार कर चालान की गई और प्रार्थी दिनांक 08.03.2026 से जेल में निरुद्ध है। अभियुक्त की शारीरिक अस्वस्थता के कारण शादी ब्याह नहीं हुआ एवं प्रार्थी किसी प्रकार से अपना ऊदर पोषम मजदूरी करके करता है। प्रार्थी के ऊपर अधिरोपित धारा जमानतीय प्रकृति की हैं एवं सात वर्ष से कम की सजा की हैं, जिस कारण प्रार्थी जमानत पाने का हकदार है। प्रार्थी उचित राशि की जमानतें प्रस्तुत करने को तैयार है। मामले के अभियोजन साक्षियों को किसी भी प्रकार के भय व प्रलोभन इत्यादि से डराएगा व धमकाएगा नहीं। प्रार्थी की जमानत व मुचलका स्वीकार कर रिहा किए जाने की कृपा की जावे।

3. पत्रावली का अवलोकन किया।

4. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त के प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किए जाने पर बल दिया गया है।

Digitally signed by ANAND SAHASRANAM
Date: 2026.03.12 10:26:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

5. विद्वान सहायक अधिकारी द्वारा अपराध का अजमानती होने का अभिकथन किया गया है तथा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है।

6. प्रस्तुत प्रकरण में आरोप पत्र दाखिल है तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 24.12.2010 को संज्ञान लिया जा चुका है। उपरोक्त मामला मजिस्ट्रेट विचारणीय है। माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जमानत के संदर्भ में सात वर्ष तक की सजा से सम्बंधित मामले में स्थापित विधि व्यवस्था तथा मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को सशर्त जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

7. अभियुक्त तीरथ केवट की ओर से अपराध संख्या 1149/2010, धारा- 25 आयुध अधिनियम, थाना-मऊ, जिला चित्रकूट में द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0 20000/-रु (बीस हजार रूपए मात्र) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इतनी ही धनराशि की एक जमानत प्रस्तुत करने पर तथा निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए-

(i) वह निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार हाजिर होगा।

(ii) वह उस अपराध जैसा, जिसको करने का उस पर अभियोग या सन्देह है, कोई अपराध नहीं करेगा।

(iii) वह उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यतः या अप्रत्यतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को बिगाड़ेगा नहीं।

(एस० आनंद)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
मऊ, चित्रकूट।
जे.ओ.कोड यू.पी. 4878